

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026- 1789 /पटना, दिनांक-11 सितम्बर, 2026

आदेश

विषय:- बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु परिसर में स्थित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण, जीर्ण भवन एवं ढाँचा व अन्य रद्दी सामग्रियों के बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमवली-2024 के नियम-131ज्ञ(त) के तहत नामांकन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-3 (2025-2030) के तहत "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त क्रम में बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाई सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

2. उक्त दोनों परिसर पूर्व से अधिष्ठापित मशीनों/उपकरणों/उपस्कर एवं अन्य रद्दी सामग्रियों को हटाया जाना आवश्यक है, ताकि उपलब्ध परिसर का उपयोग प्रस्तावित नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु किया जा सके। इस हेतु उक्त अनुपयोगी परिसंपत्तियों की नीलामी कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई सकरी और रैयाम पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु परिसर में स्थित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण, जीर्ण भवन एवं ढाँचा व अन्य रद्दी सामग्रियों का SBI CAPs कोलकाता से मूल्यांकन कराया गया है। जिसमें उक्त दोनों इकाई की कुल Distress Value मो० 1.77 करोड़ दर्शाया गया है। (मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न है)

4. सकरी एवं रैयाम चीनी मिल की स्थापना हेतु परिसर में स्थित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण, जीर्ण भवन एवं ढाँचा व अन्य रद्दी सामग्रियों का नीलामी की प्रक्रिया हेतु एम०एस०टी०सी० लिमिटेड द्वारा अपनी सेवा देने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सन्दर्भ में दिनांक-11.08.2026 को

(2)

एम०एस०टी०सी० के साथ बैठक सम्पन्न हुई थी, तदालोक में एम०एस०टी०सी० द्वारा विभाग को प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जिसमें एमएसटीसी द्वारा सेवा शुल्क विक्रय मूल्य (कर एवं शुल्क को छोड़कर) का 3% + GST प्रस्तावित किया गया है।

यदि SBI CAPs कोलकाता के मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार दोनो इकाईयों के Distress Value (1.77 करोड़) को विक्रय मूल्य माना जाए तो एमएसटीसी का सेवा शुल्क (1.77 करोड़ का 3% + GST) लगभग 6 लाख रुपये होता है, जो 50 लाख के अन्तर्गत है।

5. अतः बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु परिसर में स्थित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण, जीर्ण भवन एवं ढाँचा व अन्य रद्दी सामग्रियों के बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमवली-2024 के नियम-131ज(त) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया जाता है।

6. MSTC द्वारा निम्नांकित प्रक्रियानुसार ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी:-

(क) गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक को विक्रेता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। प्राधिकृत पदाधिकारी, द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों की सूची एम०एस०टी०सी० लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) इस हेतु गन्ना उद्योग विभाग एम०एस०टी०सी० लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ एकरारनामा (Agreement) किया जाएगा, जिसके तहत एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के लिए सीधे तौर पर Selling Agent होगा।

(ग) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड की ई-नीलामी की प्रक्रिया एम०एस०टी०सी० के वेबसाइट से किया जाएगा एवं ई-नीलामी हेतु निविदा की सूचना एवं प्रचार-प्रसार भी एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के द्वारा की जायेगी।

(घ) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों की विस्तृत सूची बनाकर 21 दिन पूर्व अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी।

(ङ) प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सभी अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों का आरक्षित मूल्य SBI CAPs कोलकाता के मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार तय किया

(3)

जायेगा जिसे एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाइट पर ई-नीलामी हेतु 02 दिन पूर्व अपलोड कर दिया जायेगा।

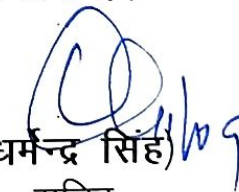
(च) ई-नीलामी के उपरान्त ई-नीलामी का परिणाम एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् एम०एस०टी०सी० लिमिटेड नियमानुसार चयनित बीडर से EMO/Security Deposit प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के वास्ते प्राप्त करेगा तथा संबंधित खरीदार के साथ करार करेगा एवं तीन प्रतिशत सेवा शुल्क एवं अनुमान्य जी०एस०टी० (GST) काटते हुए विक्रय मूल्य को संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को सौंप देगा, जिसे प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा। अगर संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी जी०एस०टी० (GST) में निबंधित नहीं हो तो एम०एस०टी०सी० लिमिटेड नियमानुसार निर्धारित दर से जी०एस०टी० (GST) एवं सेवा शुल्क काट कर शेष राशि प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को हस्तांतरित कर देगा, जिसे सरकारी कोष में जमा किया जाएगा।

(छ) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड चयनित बीडर को विक्रेता पदाधिकारी की ओर से Delivery Order निर्गत किया जाएगा।

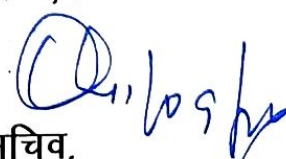
(ज) यदि ई-नीलामी में कोई प्रतिभागी भाग नहीं लेता है तो एम०एस०टी०सी० लिमिटेड द्वारा कोई राशि नहीं ली जाएगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका-02/रेगु०-02-1503/2026 के पृष्ठ- 47/टि० पर प्राप्त है।

8. माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका-02/रेगु०-02-1503/2026 के पृष्ठ- 47/टि० पर प्राप्त है।


(धर्मन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-1503/2026-1789 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,

(4)

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026- 1789

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- अपर महाप्रबंधक/बी०एम०, Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम), बिहार शाखा कार्यालय: तीसरी मंजिल डीसीआर सह एमआरटी बिल्डिंग एस०बी०पी०डी०सी०एल० रोड नंबर-1 डी०पी० राय पथ आर ब्लॉक के पास पटना बिहार-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026- 1789

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026-

पटना, दिनांक- सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग/ईख पदाधिकारी, दरभंगा, सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा/महाप्रबंधक, बिहार राज्य चीनी निगम, लि० इकाई- सकरी एवं रैयाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026- 1789

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,

ज्ञापांक-02/रेगु-02-1503/2026- 1789

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग,